


ई-निविदा सूचना

क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत शामली को शासन की संस्तुतियों के अन्तर्गत राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि से जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टर (D.P.R.C.) निर्माण कार्य की ई-निविदायें दिनांक 24.11.2018 की सांय 5 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जिनकी तकनीकी बिड निविदा समिति द्वारा दिनांक 26.11.2018 को प्रातः 11 बजे से इच्छित ठेकेदारों की उपस्थिति में खोली जायेगी। निविदायें www.etender.up.nic.in पर उपलब्ध होगी और दिनांक 12.11.2018 से 24.11.2018 की सांय 5 बजे तक ई-निविदा डाऊनलोड व अपलोड की जा सकेगी। कार्यों का विस्तृत विवरण एवं शर्तें जनपद शामली की वेबसाईट www.shamli.nic.in पर देखी जा सकती है अथवा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला पंचायत में भी देखी जा सकती है। निविदा के तकनीकी बिड के साथ निविदा मूल्य का बैंक ड्राफ्ट जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत शामली के पक्ष में देय होगा तथा 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि की F.D.R./T.D.R. जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत शामली के पक्ष में बंधक होगी तथा पंजीकरण शुल्क रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा। कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र० सं०	कार्य/परियोजना का नाम	आंगणित लागत (लाख ₹० में G.S.T. रहित)	आंगणित लागत (लाख ₹० में G.S.T. सहित)	धरोहर धनराशि (₹०में)	टैण्डर मूल्य (₹० में 12% G.S.T. सहित)	कार्य की अवधि (माह में)
1	जनपद शामली में जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टर (D.P.R.C.) निर्माण कार्य	185.81	208.10	416200.00	11200.00	8


 (सुनील कुमार गुप्ता)
 अभियन्ता
 जिला पंचायत शामली।


 (मुकेश जैन)
 अपर मुख्य अधिकारी
 जिला पंचायत शामली।

कार्यालय जिला पंचायत, शामली।

पत्रांक- 349 / जि०पं०शा० / 2018-19


दिनांक - 3-11-18

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. मा० आयुक्त महोदय, सहारनपुर मण्डल सहारनपुर की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
2. मा० अध्यक्ष, जिला पंचायत शामली।
3. जिलाधिकारी महोदय, शामली।
4. मा० अपर जिला न्यायधीश कार्यालय शामली।
5. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत शामली।
6. उपनिदेशक, पंचायत राज, सहारनपुर मण्डल सहारनपुर।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, शामली।
8. निविदा समिति के सदस्य अभियन्ता/वित्तीय परामर्शदाता जिला पंचायत शामली को इस आशय के साथ कि वह नियत तिथि को टैण्डर प्रक्रिया में प्रतिभाग किये जाने हेतु।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, शामली को इस अनुरोध के साथ कि यह विज्ञप्ति जनपद शामली की शासकीय वेबसाईट www.shamli.nic.in पर संलग्न निविदा सूचना एवं शर्तें अपलोड करने का कष्ट करें।
10. संपादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक हिन्दुस्तान व दैनिक जनवाणी को इस आशय से कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को अपने अगले स्थानीय अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित कर प्रकाशन की 4 प्रतियों के साथ बिल जिला सूचना अधिकारी से दर प्रमाणित कराकर कार्यालय में भेजने का कष्ट करें।


अभियन्ता, जिला पंचायत शामली को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त समस्त वेबसाइट पर यह निविदा सूचना तथा समस्त कार्य विवरण अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

12. समस्त पंजीकृत ठेकेदार, जिला पंचायत शामली को कार्य विवरण सहित सूचनार्थ।
13. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
14. अधिशासी अभियन्ता – लोक निर्माण विभाग शामली, पूर्वी यमुना नहर, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, मण्डी परिषद, पीएमजीएसवाई, शामली, समस्त खण्ड विकास अधिकारी शामली, कैराना, कांघला, थानाभवन व ऊन।


अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत शामली।

निविदा हेतु शर्तें-

1. प्रत्येक ठेकेदार को निविदा मूल्य का बैंक ड्राफ्ट एवं धरोहर धनराशि की F.D.R./T.D.R. मूल रूप से दिनांक 26.11.2018 तक जिला पंचायत शामली में उपलब्ध करानी होगी।
2. निविदा स्वीकृति के उपरान्त श्रम विभाग में कार्य का पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
3. निविदादाताओं द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2 आडिट/08टी.सी.-02 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक बिलों दरें प्राप्त होने पर 0.50 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दरों पर 1 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर परफोर्मेंस गारंटी के अतिरिक्त धनराशि जमा करने के उपरान्त अनुबंध गठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
4. तकनीकी बिड में संबंधित ठेकेदार को न्यूनतम 1/3 लागत का भवन निर्माण अनुभव प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत) संलग्न/अपलोड करना होगा।
5. एक वित्तीय वर्ष में 2 करोड की लागत के निर्माण कार्य किये हो का प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत) संलग्न/अपलोड जाना अनिवार्य है। जो विगत तीन वर्ष से पुराना नहीं हो।


अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत शामली।